NABARD

संदर्भ सं. राबैं.एमसीआईडी/ 47 /डीएवाई-एनआरएलएम-पॉलिसी/2024-25

परिपत्र सं. **78/ एम सी आय डी - 2/2024**

25 अप्रैल 2024

(1) अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
(2) प्रबंध निदेशक
सभी राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
महोदया/ महोदय,

मास्टर परिपत्र - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और वर्ष 2022-23 के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज सहायता योजना – संशोधन

कृपया उपर्युक्त विषयपर दिनांक 26 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र संख्या राबैं.एमसीआईडी/ 842/डीएवाई-एनआरएलएम/2022-23 तथा परिपत्र संख्या 15/एमसीआयआडी -01/2024 dated 08 फरवरी 2024 का संदर्भ लें. इस संबंध में, हम आपका ध्यान अनुबंध II के खंड (xii),(xiii) और (xiv) की ओर आकर्षित करते हैं. डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा बैंको के साथ एसएचजी कोड साझा करने में देरी के कारण, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैंको ने अपना अंतिम दावा प्रस्तुत नहीं किया. इसलिए ग्रामीण विकास विभाग (आरएल डिवीजन), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पुनः अनुरोध के अनुसार, उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध II के खंड (xii), (xiii) और (xiv) में किए गए संशोधन निम्ननुसार हैं:

खंड सं.	परिपत्र संख्या 15 दिनांक 08 फरवरी 2024 के अनुसार मौजूदा दिशानिर्देश	भारत सरकार, एमओआरडी द्वारा संशोधन प्रस्तावित/अनुरोधित
(xii)	डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% की दर से दिए गए रु.3 लाख तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह को रु.3 लाख से अधिक और रु.5 लाख तक के ऋण पर दी गई ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए सभी बैंकों को नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को तिमाही आधार पर (अर्थात् 30 जून 2022, 30 सितंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 और 31 मार्च 2023 तक) दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. किसी भी बैंक द्वारा प्रस्तुत दावों के साथ दावा प्रमाण पत्र (मूल रूप से) होना चाहिए, जो ब्याज सहायता के	डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% की दर से दिए गए रु.3 लाख तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह को रु.3 लाख से अधिक और रु.5 लाख तक के ऋण पर दी गई ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए सभी बैंकों को नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को तिमाही आधार पर (अर्थात् 30 जून 2022, 30 सितंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 और 31 मार्च 2023 तक) दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. किसी भी बैंक द्वारा प्रस्तुत दावों के साथ दावा प्रमाण पत्र (मूल रूप से) होना चाहिए, जो ब्याज सहायता के दावों को सही और सत्य के रूप में

NABARD

	दावों को सही और सत्य के रूप में प्रमाणित करता है. मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए किसी भी बैंक के दावों का निपटान एमओआरडी (MoRD) द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र के बिना किया जा सकता है. हालाँकि, बैंकों से पूरे वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र **31 मार्च 2024** तक जमा करना आवश्यक है.	प्रमाणित करता है. मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए किसी भी बैंक के दावों का निपटान एमओआरडी (MoRD) द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र के बिना किया जा सकता है. हालाँकि, बैंकों से पूरे वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र **30 सितंबर 2024** तक जमा करना आवश्यक है.
(xiii)	दावा प्रमाणपत्रों का प्रारूप अनुलग्नक VI और VII के अनुसार होगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित सभी दावे बैंकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित **10 मार्च 2024** तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए.	दावा प्रमाणपत्रों का प्रारूप अनुलग्नक VI और VII के अनुसार होगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित सभी दावे बैंकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित **30 सितंबर 2024** तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए.
(xiv)	वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए संवितरण से संबन्धित कोई भी शेष दावे और वर्ष के दौरान शामिल नहीं किए गए, उन्हें अलग से समेकित करें और 'अतिरिक्त दावे' के रूप में चिन्हित करें तथा इसे वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित कर नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को अधिक से अधिक **10 मार्च 2024** तक प्रस्तुत करें.	वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए संवितरण से संबन्धित कोई भी शेष दावे और वर्ष के दौरान शामिल नहीं किए गए, उन्हें अलग से समेकित करें और 'अतिरिक्त दावे' के रूप में चिन्हित करें तथा इसे वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित कर नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को अधिक से अधिक **30 सितंबर 2024** तक प्रस्तुत करें.

2. पूर्व में जारी उपरोक्त परिपत्र में अन्य निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे.

भवदीया,

eSign
Signed by: LALFAKZUALI LEIVANG
Organization Unit: CHIEF GENERAL MANAGER
Organization Name: THE NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Date: 26-Apr-2024 (01:00 PM)